**न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान**

**अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1073/2026**

**महाराजगंज थाना कांड सं0–116/2026 से उत्पन्न**

**अंतर्गत धारा–190, 192(2), 115(2), 109, 351(2), 352, 132, 3(5) बी.एन.एस.**

**एवं धारा 3(1)(r),3(2)(va) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम**

**(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)**

**पारस यादव व अन्य..... आवेदकगण/अभियुक्तगण**

**बनाम**

**बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी**

---

**उपस्थितः–श्री रविंद्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से**
**श्री भागवत राम, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से**

---

***आ–दे–श***

**23.05.2026**

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. पारस यादव 2. रजनीश यादव 3. नंदकिशोर यादव 4. राकेश यादव 5. रूपेश कुमार यादव 6. अनुप यादव 7. सुमित यादव 8. मनोज यादव की ओर से महाराजगंज थाना कांड संख्या 116/2026, अंतर्गत धारा–190, 192(2), 115(2), 109, 351(2), 352, 132, 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r),3(2)(va) अनु.जा./ज.जा. (अ0नि0)अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक विजय कुमार चौधरी (पु0नि0 सह थानाध्यक्ष) के द्वारा दिए गए टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचक अनुसूचित जाति का सदस्य है। सूचक को दिनांक 31.03.2026 को समय करीब 16:00 बजे दूरभाष पर सूचना मिली कि ग्राम रामापाली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष में, जिसमें राघव वास्कर एवं पारस यादव के बीच, मारपीट हो रही है। सूचना के सत्यापन में गस्ती वाहन के साथ पु0अ0नि0 सीमा कुमारी एवं पु0अ0नि0 ललन सिंह, सिपाही दीपक कुमार, गौरव कुमार एवं गृहरक्षक प्रशुन कुमार, अमित कुमार पंडित के साथ ग्राम रामापाली में पहुॅचे तो देखा कि उपरोक्त दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो रहा था उसी क्रम में पुलिस टीम के द्वारा बीच बचाव किया गया तो पारस यादव के पक्ष के दस–पन्द्रह व्यक्ति पुलिस से उलझ गये तथा धक्का–मुक्की करने लगे। धक्का–मुक्की के क्रम में सूचक तथा पु0अ0नि0 ललन तथा सिपाही प्रभाष कुमार जख्मी हो गये। पुलिस द्वारा तत्क्षण कार्रवाई करते हुए दो पुरूष एवं तीन महिला को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जिसमें उन्होनें अपना–अपना नाम सत्यनारायण यादव, अमित कुमार यादव, शांति देवी, विंदा देवी, संध्या देवी बताया। मारपीट में शामिल अन्य लोगों का नाम पता के बारे में पूछने पर बताये कि रजनीश यादव, राकेश यादव, रूपेश कुमार यादव, मनोज यादव, पारस यादव, नंदकिशोर यादव, सुमित यादव, अनुप यादव भी मारपीट में शामिल थे। उपरोक्त सभी लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया एवं इन सभी लोगों के द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाई गई। भागने वाले लोगों के द्वारा गाली–गलौज करते हुए धमकी दिया

**लगातार**
**23.05.2026**

गया कि सभी पुलिसकर्मी को वे लोग देख लेंगे। पुलिस अभिरक्षा में लिये गये दो पुरूष एवं तीन महिला को लेकर ग्राम रामापाली से थाना के लिए प्रस्थान किया। पुलिस के कार्य में बाधा डालना पुलिस के साथ उलझना एवं गाली–गलौज करते हुए धमकी देना एक संज्ञेय अपराध है। इस संबंध में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उन्हें दुश्मनी के कारण झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है और न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसका वे लोग पालन करेंगे। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अनु.जा./ज.जा. (अ0नि0)अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए अभियोग के संदर्भ में कांड दैनिकी में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अत उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा./ज.जा. (अ0नि0)अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, महाराजगंज थाना कांड संख्या 116/2026, आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा–190, 192(2), 115(2), 109, 351(2), 352, 132, 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r),3(2)(va) अनु.जा./ज.जा. (अ0नि0)अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए संस्थित किया गया जिसके अंतर्गत आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष में के बीच मारपीट करने तथा सूचना पर पुलिस बल के पहुॅच कर बीच–बचाव करने पर इनके पक्ष के दस–पन्द्रह व्यक्ति पुलिस से उलझ गये तथा धक्का–मुक्की करने एवं धक्का–मुक्की के क्रम में सूचक तथा पु0अ0नि0 ललन तथा सिपाही प्रभाष कुमार जख्मी करने के अपराध का अभियोग है। अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है (कांड दैनिकी की कंडिका 3,4,5,6 में वर्णित)। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी में आये साक्ष्य से आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आपराधिक मामले में अनु.जा./ज.जा. (अ0नि0)अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अभियोग आकर्षित होता है। ऐसी स्थिति में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा./ज.जा. (अ0नि0)अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

**लगातार**
**23.05.2026**

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. पारस यादव 2. रजनीश यादव 3. नंदकिशोर यादव 4. राकेश यादव 5. रूपेश कुमार यादव 6. अनुप यादव 7. सुमित यादव 8. मनोज यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण **अस्वीकृत** किया जाता है।

**लेखापित**
ह0/–
**(सुशील कुमार त्रिपाठी)**
**जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सिवान।**